No. 2(21)/2007-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

*****

New Delhi, the 31st August, 2007.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Upgradation of Greater Hyderabad Municipal Corporation as A-1 class city for the purpose of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance – regarding.

The undersigned is directed to invite attention to this Ministry's O.M. No.2(21)/E.II(B)/2004 dated 18.11.2004 regarding re-classification/ upgradation of cities on the basis of the population figures of 2001 census for the purpose of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees and to say that consequent upon re-constitution of the area of Hyderabad Municipal Corporation and re-naming it as Greater Hyderabad Municipal Corporation with the addition of certain areas within its Municipal limits vide notification dated 16.4.2007 of the Government of Andhra Pradesh, the population of 'Greater Hyderabad Municipal Corporation' has increased, and therefore qualifies for classification as 'A-1' class city for the purpose of House Rent Allowance/ Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees.

2. The President is, accordingly, pleased to decide that Greater Hyderabad Municipal Corporation shall stand classified as 'A-1' class city for the purpose of grant of House Rent Allowance/Compensatory (City) Allowance to the Central Government employees posted at Greater Hyderabad Municipal Corporation.

3. These orders shall be effective from **1st September, 2007**.

4. The orders will apply to all civilian employees of the Central Government. The orders will also be applicable to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

RPremanand
(R. Prem Anand)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to C&AG and U.P.S.C., etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं. 2(21)/2007-संस्था-II(ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता के प्रयोजनार्थ बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम का ए-I श्रेणी के शहर के रूप में स्तरोन्नयन।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता प्रदान किए जाने के प्रयोजन से 2001 की जनगणना के आधार पर शहरों के पुन:वर्गीकरण/स्तरोन्नयन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/संस्था-II(ख)/2004 की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आंध्र प्रदेश सरकार की दिनांक 16.04.2007 की अधिसूचना के द्वारा हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र के पुनर्गठन तथा इसकी नगर सीमा में कतिपय क्षेत्रों को जोड़ने से इसका बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम के रूप में पुन: नामकरण किए जाने के फलस्वरूप, "बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम" की जनसंख्या बढ़ गई है और इस प्रकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते के प्रयोजन से इसने "ए-I" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकरण हेतु अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. तद्नुसार, राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया है कि बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम "ए-I" श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत माना जाएगा।

3. ये आदेश **01 सितम्बर, 2007** से प्रभावी होंगे।

4. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें रक्षा सेवा आकलनों से भुगतान किया जाता है। सशस्त्र बल के कार्मिकों एवं रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(आर.प्रेम आनन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।